

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में हुई उपलब्धियां वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में संसद के दोनों पटलों पर रखी जाती है। राजभाषा विभाग द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट एक वेब आधारित सूचना प्रणाली <http://rajbhashaqr.gov.in> द्वारा मंगवाई जाती है।

राजभाषा विभाग द्वारा मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है। अधीनस्थ कार्यालयों की समीक्षा राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा की जाती है। इन रिपोर्टों के आधार पर विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पुरस्कार योजनाओं के लिए पुरस्कार देने के लिए कार्यालयों का चयन किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/बीमा कम्पनियों/निगमों/बोर्डों आदि में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 08 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं जो क्षेत्रीय आधार पर संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हैं। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के लिए प्रति अधिकारी प्रति माह 12 निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, निगमों, बोर्डों, संगठनों आदि में संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये किये जा रहे मुख्य कार्य नीचे दिये गये हैं:

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, निगमों, बोर्डों, संगठनों आदि में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा राजभाषा से सम्बन्धित विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, बोर्डों, संगठनों आदि का राजभाषा सम्बन्धी नियमित निरीक्षण करना, पाई गयी कमियों को निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से सम्बन्धित कार्यालयों को सूचित करना तथा कमियों को दूर करने के लिए अनुसरणात्मक कार्रवाई करना

(3) क्षेत्राधिकार में स्थित कार्यालयों से हिन्दी तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त करना एवं उनकी समीक्षा करके कमियों को सम्बन्धित कार्यालयों के ध्यान में सुधारात्मक कार्रवाई हेतु लाना तथा उनका अनुश्रवण कार्य करना ।

(4) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भाग लेना ।

(5) क्षेत्राधिकार में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेना ।

(6) जिस नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नहीं है अथवा अतिरिक्त नगर राजभाषा समिति के गठन की आवश्यकता हो, तो नई समिति गठित करने का कार्य करना।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए बनी समितियां

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की समीक्षा, मॉनीटरिंग आदि करने के लिए अनेक समितियां गठित हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

केन्द्रीय हिंदी समिति

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिंदी समिति का गठन केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में समन्वय स्थापित करने के आशय से वर्ष 1967 में हिंदी के व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रगामी प्रयोगार्थ किया गया था । यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। समिति में प्रधान मंत्री जी के अतिरिक्त 08 माननीय केन्द्रीय मंत्री (गृह मंत्री जी उपाध्यक्ष, गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री-सदस्य), 06 राज्यों के मुख्य मंत्री, 04 संसद सदस्य तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के 10 विद्वान, कुल मिलाकर 30 (तीस) सदस्य हैं । इस समिति की अब तक 30 बैठकें हो चुकी हैं। इस समिति की पिछली (30वीं) बैठक दिनांक 28.07.2011 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी । इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

केन्द्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन 23-06-2017 को अधिसूचित संकल्प द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं -

1.	प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	गृह मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	गृह राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय में राजभाषा के प्रभारी)	सदस्य
4.	मानव संसाधन विकास मंत्री	सदस्य
5.	सूचना एवं प्रसारण मंत्री	सदस्य

6.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री	सदस्य
7.	रेल मंत्री	सदस्य
8.	विदेश मंत्री	सदस्य
9.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री	सदस्य
10.	मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश	सदस्य
11.	मुख्य मंत्री, झारखंड	सदस्य
12.	मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
13.	मुख्य मंत्री, गुजरात	सदस्य
14.	मुख्य मंत्री, तेलंगाना	सदस्य
15.	मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य
16.	उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति	सदस्य
17.	संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति के संयोजक	सदस्य
18.	संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
19.	संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के संयोजक	सदस्य
20.	श्री दिलीप कुमार मेधी	सदस्य
21.	श्री तुषार शुक्ल	सदस्य
22.	सुश्री ज़ोहरा अफजल	सदस्य
23.	श्री ए. अरविंदाक्षन	सदस्य
24.	श्री कुन्दन व्यास	सदस्य
25.	श्री गिरीश्वर मिश्र	सदस्य
26.	सुश्री निर्मला जैन	सदस्य
27.	श्री मोहन	सदस्य
28.	श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी	सदस्य
29.	सुश्री प्रतिभा राय	सदस्य
30.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य सचिव

हिंदी सलाहकार समिति:

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान में 54 मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सभा सचिवालय में हिंदी सलाहकार समिति गठित है। इस समिति की वर्ष में कम से कम 02 बैठकें आयोजित करना अपेक्षित है।

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति - केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष में एक बैठक आयोजित करना अपेक्षित है। अभी तक इसकी 39 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां - राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित अनुदेशों के कार्यान्वयन और इसमें बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए देश के विभिन्न नगरों में अभी तक 472 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। नगर विशेष में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों आदि के विभागाध्यक्ष इन समितियों के सदस्य होते हैं और उनमें से वरिष्ठतम अधिकारी इन समितियों के अध्यक्ष नामित किए जाते हैं। प्रत्येक समिति की वर्ष में 2 बैठकें आयोजित करना अपेक्षित है। [नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की सूची](#) के लिए क्लिक करें।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां - केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों आदि में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। मंत्रालयों/विभागों में इन समितियों में संयुक्त सचिव स्तर अथवा उससे ऊपर के अधिकारी अध्यक्ष होते हैं तथा विभिन्न प्रभागों के अधिकारी इनमें सदस्य होते हैं। इसकी बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित होती हैं। बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं।

मुख्य पृष्ठ